न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, कठूमर, जिला अलवर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : उदय सिंह अलोरिया (R.J.S.)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 34 / 11 / 2022 (34 / 73 / 2017)
(सी.आई.एस. नम्बर 17 / 2017)

प्रथम सूचना संख्या : 382 / 2017, पुलिस थाना खेड़ली, जिला अलवर

राजस्थान राज्य **बनाम** विजय सिंह

अपराध अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता 1860

भाग–प्रथम

A

परिवादिया	श्रीमती मंदरा पत्नी विजय सिंह, उम्र 45 साल, पेशा गृहणी, निवासी सौंखरी, पुलिस थाना खेरली, जिला अलवर
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, कठूमर
अभियुक्त का नाम व पता	विजय सिंह पुत्र किशोरीलाल, उम्र 49 साल, (वर्तमान उम्र 57 साल) निवासी इंद्रा कॉलोनी सौंखरी, पुलिस थाना खेरली, जिला अलवर
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त	श्री सुशील कुमार गोयल
विद्वान अपर लोक अभियोजक	श्री सुनील कुमार अवस्थी

B

अपराध की दिनांक	25.06.2017 व 26.06.2017 की दरमियानी रात्रि
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	26.06.2017
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	24.08.2017
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	16.08.2019
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	20.09.2019
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	23.04.2026
निर्णय दिनांक	23.04.2026
दंडादेश की दिनांक	–

C

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1	विजय सिंह	06.07.2017	12.05. 2020	धारा 302 भारतीय दंड संहिता 1860	**दोषमुक्त**	–	–

भाग द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू. 01	श्रीमती मंदरा	परिवादिया
पी.डब्ल्यू. 02	छगनलाल	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू. 03	सुगन	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू. 04	किशनलाल	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू. 05	योगेन्द्र	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू. 06	टिंकू	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू. 07	मौसम	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू. 08	शिवचरण	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू. 09	बाबूराम	फर्द पंचायतनामा
पी.डब्ल्यू. 10	कन्हैयालाल	फर्द पंचायतनामा
पी.डब्ल्यू. 11	डॉ. हीरेन्द्र कुमार शर्मा	चिकित्सकीय गवाह
पी.डब्ल्यू. 12	मोहनलाल	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 13	विशन सिंह	फर्द जब्ती/फर्द बरामदगी
पी.डब्ल्यू. 14	मगन	फर्द पंचनामा लाश
पी.डब्ल्यू. 15	नरेन्द्र कुमार	फर्द गिरफ्तारी
पी.डब्ल्यू. 16	डॉ. अंकित जेटली	चिकित्सकीय गवाह
पी.डब्ल्यू. 17	सत्यप्रकाश	एफएसएल वाहक
पी.डब्ल्यू. 18	धर्मसिंह	फर्द जब्ती/फर्द नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू. 19	दयाराम	मालखाना ईंचार्ज

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श की सूची

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण	गवाह जिसके द्वारा दस्तावेज प्रमाणित/प्रदर्शित करवाया गया
1	प्रदर्श पी. 1	तहरीरी रिपोर्ट	पी.डब्ल्यू 1, 12
2	प्रदर्श पी. 2	चॉक एफआईआर	पी.डब्ल्यू 1, 12
3	प्रदर्श पी. 3	नक्शा मौका घटनास्थल	पी.डब्ल्यू 1, 5, 12, 18
4	प्रदर्श पी. 4	फर्द जप्ती लेड़िज कुर्ता खून आलूदा	पी.डब्ल्यू 1, 4, 12, 18
5	प्रदर्श पी. 5	पुलिस बयान मूंदरा	पी.डब्ल्यू 1, 12
6	प्रदर्श पी. 6	पुलिस बयान छगनलाल	पी.डब्ल्यू 2, 12
7	प्रदर्श पी. 7	पुलिस बयान सुगन सिंह	पी.डब्ल्यू 3, 12
8	प्रदर्श पी. 8	पुलिस बयान किशनलाल	पी.डब्ल्यू 4, 12
9	प्रदर्श पी. 9	फर्द जब्ती खून आलूदा व सादा मिट्टी	पी.डब्ल्यू 12, 18
10	प्रदर्श पी. 10	पुलिस बयान टिंकु	पी.डब्ल्यू 6, 12
11	प्रदर्श पी. 11	पुलिस बयान मौसम	पी.डब्ल्यू 7, 12
12	प्रदर्श पी. 12	फर्द पंचायतनामा मृतका श्रीमती रामा	पी.डब्ल्यू 7, 9, 10, 14
13	प्रदर्श पी. 13	पुलिस बयान शिवचरण	पी.डब्ल्यू 8, 12
14	प्रदर्श पी. 14	चोट प्रतिवेदन श्रीमती रामा	पी.डब्ल्यू 11, 12
15	प्रदर्श पी. 15	चोट प्रतिवेदन विजय	पी.डब्ल्यू 11, 12
16	प्रदर्श पी. 16	एलकोहल परीक्षण बाबत रिपोर्ट विजय	पी.डब्ल्यू 11, 12
17	प्रदर्श पी. 17	पोस्टमार्टम रिपोर्ट रामा देवी	पी.डब्ल्यू 11, 12, 16
18	प्रदर्श पी. 18	आहत के कथन की स्वीकृति लेने बाबत थानाधिकारी द्वारा एमओ को लिखा पत्र	पी.डब्ल्यू 18, 12
19	प्रदर्श पी. 19	रोजनामचा रपट वापसी	पी.डब्ल्यू 12
20	प्रदर्श पी. 20	रोजनामचा रपट रवानगी	पी.डब्ल्यू 12
21	प्रदर्श पी. 21	रसीद सुपुर्दगी लाश मृतका श्रीमती रामा	पी.डब्ल्यू 12
22	प्रदर्श पी. 22	सिटी स्केन रिपोर्ट श्रीमती रामा	पी.डब्ल्यू
23	प्रदर्श पी. 23	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम विजय	पी.डब्ल्यू 12, 15
24	प्रदर्श पी. 24	धारा 27 सा. अधि. की ईत्तिला मुलजिम विजय	पी.डब्ल्यू 12
25	प्रदर्श पी. 25	फर्द जब्ती एक दरांत	पी.डब्ल्यू 12, 13
26	प्रदर्श पी. 26	फर्द नक्शा मौका बरामदगीस्थल	पी.डब्ल्यू 12, 13

27	प्रदर्श पी. 27	प्राप्ति रसीद विधि विज्ञान प्रयोगशाला	पी.डब्ल्यू 12, 17
28	प्रदर्श पी. 28	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू 12, 19
29	प्रदर्श पी. 29	रोजनामचा नकल रवानगी	पी.डब्ल्यू 12, 17
30	प्रदर्श पी. 30	रोजनामचा नकल वापसी	पी.डब्ल्यू 12, 17
31	प्रदर्श पी. 31	एफएसएल रिपोर्ट	पी.डब्ल्यू 12
32	प्रदर्श पी. 32	एफएसएल रिपोर्ट	पी.डब्ल्यू 12

ब–बचाव प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण	गवाह जिसके द्वारा दस्तावेज प्रमाणित/प्रदर्शित करवाया गया
––	––	––	––

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
––	––	––

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1.	आर्टिकल ए	खून आलूदा मिट्टी
2.	आर्टिकल ए1	सादा मिट्टी

–:<u>निर्णयः</u>– **<u>दिनांक :– 23.04.2026</u>**

1. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.06.2017 को परिवादिया श्रीमती मूंदरा ने पुलिस थाना खेरली पर एक तहरीरी रिपोर्ट **प्रदर्श पी. 1** इस आशय की पेश की, कि दिनांक 25.06.2017 को समय करीबन रात्री 10.30 बजे की बात है कि वह अपने बच्चों के साथ घर पर थी। तभी उसका पति विजयसिंह शराब पीकर घर आया तथा शराब के नशे में गाली गलौच देने लगा तथा उसके व बच्चों के साथ मारपीट पर उतारू हो गया तथा घर में और भी शराब पी तथा फिर द्वारा उनके साथ दरात लेकर मारपीट करने को उतारू हो गया। तब वे समय करीबन 11.30 बजे विजय के डर की वजह से अपने घर से विशन के घर चले गये और घर में उसकी वृद्ध सास रामा थी। उसके बाद समय करीबन 2.00 बजे उसके घर हा हुल्ला मचा की बुढीया को मार दिया। उसके बाद वह अपने बच्चों के साथ घर आयी तो बुढिया जमीन पर पड़ी हुयी तथा खून में लथ–पथ थी और उसका पति विजय घर पर ही था।

उसके बाद गाँव के लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस स्वयं उसको हॉस्पिटल ले गई, बुड़िया की हालत गंभीर होने के कारण अलवर रेफर कर दिया गया है.....इत्यादि।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना खेरली में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 382/2017 में अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता 1860 में दर्ज की जाकर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान थानाधिकारी पुलिस थाना खेरली की ओर से न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठूमर में जरिए सहायक लोक अभियोजक अभियुक्त विजय सिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302 व 341 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अपराध में आरोप–पत्र पेश किया। प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठूमर द्वारा बाद प्रसंज्ञान प्रकरण सुनवाई हेतु न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ़ के समक्ष कमिट किया गया। कालांतर में कठूमर मुख्यालय पर अपर सेशन न्यायाधीश न्यायालय स्थापित होने से उक्त प्रकरण सुनवाई हेतु इस न्यायालय को स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त विजय सिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2, 3 व 4 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये एवं दस्तावेजात एवं भौतिक साक्ष्य प्रदर्शित करवाई गई।

5. साक्ष्य अभियोजन के पूर्ण होने पर अभियुक्त को अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें उसने कथन किया कि वह निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

6. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय को निम्न बिन्दुओं पर विचारण करना है कि –

1. *''क्या दिनांक 05.07.2017 को परिवादिया श्रीमती मुन्दरा की सास श्रीमती रामा की मृत्यु स्वभाविक परिस्थितियों से अन्यथा कारित हुई थी''?*

2. *''क्या दिनांक 26.06.2017 को रात्रि करीब डेढ़ बजे सरहद मौजा सौंखरी में अभियुक्त विजय सिंह ने परिवादिया की सास श्रीमती रामा के साथ आशय व ज्ञान से थाप मुक्कों व दरांत से उसे जान से मारने की नीयत से मारपीट कर उसकी **'हत्या'** कारित की?*

3. *यदि हां, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या हो?*

(U/s. 302 Indian penal code 1860)

7. बहस के दौरान अपर लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित सभी गवाहान् ने घटना के समस्त तथ्यों की पुष्टि कर व अभियोजन कथानक को पूर्णतः साबित किया है। जिन पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

8. इसके विपरीत दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि इस प्रकरण में मुलजिम को झूठा फंसाया गया है वह पूर्ण रूप से निर्दोष है। अभियुक्त की मां उबड़–खाबड़ स्थल पर ठोकर खाकर गिर गई थी, जिससे उसके शरीर पर चोटें आई और उसकी वजह से उसकी मृत्यु कारित हुई। प्रतिकर राशि प्राप्त करने एवं अभियुक्त की शराब छुड़ाने के आशय से उसके विरुद्ध मारपीट का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। मृतका रामा की मृत्यु अधिक उम्र में उत्पन्न चिकित्सीय जटिलताओं के कारण हुई थी। उसकी हत्या अभियुक्त द्वारा कारित नहीं की गई थी। परिवादिया मंदरा व घटना से परिचित बताए गए समस्त चश्मदीद गवाहान पक्षद्रोही करार दिए गए हैं। किसी भी गवाह ने इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है कि अभियुक्त विजय द्वारा मृतका रामा की मृत्यु कारित की गई हो या मृत्यु से पूर्व उसके साथ मारपीट की गई हो। धारदार हथियार से मारपीट करना बताया है, परंतु मृतका के शरीर पर धारदार हथियार की कोई चोट कारित होना नहीं बताया गया है। पत्रावली पर अभियुक्त को अपराध से जोड़ने के लिए लैशमात्र भी साक्ष्य नहीं है। एफएसएल रिपोर्ट से भी घटना की पुष्टि नहीं होती है। इसलिए अभियोजन का यह प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित करने का निवेदन किया।

9. सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस को स्मरण रखते हुए पत्रावली पर आई साक्ष्य के संदर्भ में न्यायालय का विवेचन, विश्लेषण एवं निष्कर्ष यह इस प्रकार है कि न्यायालय को प्रथम विचारणीय बिंदु में यह अभिनिर्धारित करना है कि ***"क्या दिनांक 05.07.2017 को परिवादिया श्रीमती मुन्दरा की सास श्रीमती रामा की मृत्यु स्वभाविक परिस्थितियों से अन्यथा कारित हुंई थी"?***

10. उक्त प्रकरण परिवादिया श्रीमती मंदरा ने अपनी सास श्रीमती रामा के साथ मारपीट बाबत दर्ज कराया है अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 25.06.2017 को रात्रि करीब साढ़े 10 बजे उसका पति अभियुक्त विजय शराब के नशे में था, जो उनसे झगड़ा कर रहा था। इसलिए वे पड़ौसी विशन के घर चले गए। रात करीब 2 बजे हल्ला मचा कि बुढ़िया को मार दिया। इसके बाद वह अपने बच्चों के साथ घर गई तो बुढ़िया जमीन पर पड़ी हुई थी तथा खून से लत–पथ थी और उसका पति विजय घर पर ही था, बाद में दौराने ईलाज उसकी मृत्यु हो गई।

11. प्रकरण की परिवादिया श्रीमती मंदरा न्यायालय में गवाह पी.डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित हुई है। जिसने अपने सशपथ बयानों में बताया है कि उसके पति का नाम विजयसिंह व सास का नाम रामा था। उसकी सास बयानों से करीब दो ढाई साल पहले मर गई थी। झगडा रात को 10 साडे 10 बजे हुआ। वह शादी में गांव बाहर गई हुई थी। उसकी सास झगडा से दो दिन पहले चक्कर खाकर गिर गई थी जिससे उसके सिर में चोट लग गई थी। वह जब आई तब उसे उसकी सास जमीन पर पड़ी हुई मिली थी उसे अस्पताल ले गये उसके खून निकल रहे थे। घटना के 15 दिन बाद उसकी सास मरी थी।

12. इस प्रकार प्रकरण की परिवादिया अभियोजन कहानी के विपरीत चक्कर खाकर गिरने से उसकी सास रामा के चोट आने और उसकी चोट की वजह से उसकी मृत्यु हो जाना बताती है। मृतका रामाबाई की मृत्यु की प्रकृति स्पष्ट करने बाबत अभियोजन की ओर से चिकित्सा अधिकारीगण को न्यायालय में पेश किया गया है। गवाह पी.डब्ल्यू 11 डॉ. हीरेन्द्र कुमार शर्मा ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक 26.06.17 को एम.ओ. के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खेडली में कार्यरत था। उस दिन थाना खेडली की तहरीर पर उसने

श्रीमति रामा पत्नि किशोरीलाल के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया जिसके शरीर पर निम्न चोटें पाई गई। नीलगू चोट 8 गुणा 6 सेमी चेहरे के बायें साईड में स्थित थी, जो कि आँख, गाल, नाक, होंठ एवं सिर को घेरे हुए थी। नाक से खून बह रहा था। राय रिजर्व रख सिर का सी.टी स्केन एवं एक्सरे की सलाह दी गई। यह चोट भोटे हथियार से कारित थी। 2. खरोंचनुमा घाव 2 सेमी गुणा 01 सेमी जो कि दाये फोरआर्म पर स्थित था। चोट सामान्य प्रकार एवं भोटे हथियार से कारित थी। 3. खरोंचनुमा घाव 01 सेमी गुणा 1 सेमी बाये फोरआर्म पर स्थित था। चोट सामान्य प्रकार एवं भोंटे हथियार से कारित थी। मरीज बेहोश था एवं बोलने की हालत में नहीं था। इसलिए मरीज को जी एच अलवर रेफर किया गया। उपरोक्त चोटों की अवधि लगभग 6 घंटे के अन्दर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 14 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर एवं एक्स स्थान पर मजरूबा की अंगूठा निशानी है एवं कॉलम नं. 6 में मजरूबा का पहचान चिह्न है। उस दिन थाना खेडली द्वारा उससे रामादेवी के बारे में कथन हेतु स्वीकृति चाही गई जिसमें मरीज के बेहोश होने की वजह से बयान के लिए अनफिट किया गया।

13. उसने दिनांक 05.07.2017 को पुलिस की तहरीर पर गठित मेडिकल बोर्ड जिसमें उसके अलावा डॉ. अंकित जेटली व रामावतार बंसल सदस्य थे, द्वारा मृतका रामादेवी के शव का पोस्टमार्टम सीएचसी खेडली पर किया गया। शव सुपाईन पोजिशन में लेटा हुआ था। शरीर सामान्य कद काठी एवं पोषित था। पूरे शरीर पर अकडन आई हुई थी लेकिन गर्दन से पास आउट हो गई थी। दोनों आंखें बंद थी, मुँह बंद था। जीभ दांतो के पीछे थी। दोनों आँखों की पुतलियों चौड़ी हुई एवं फिक्स थी। छाती की पसलियों एवं कार्टिलेज हेल्दी थी। फेफड़ों की प्लूरा हैल्दी थी। सांस नली. दाया एवं बांया फेफडा, हृदय की पैरीकार्डियन, बडी वाहिनियों, पेट की दीवार आंतों की झिल्लियां, मुँह व खाने की नली. पेट छोटी आंत व बडी आंत, लिवर, तिल्ली, किडनियों, पेशाब की थैली सभी हैल्दी थे। हृदय के दांये चैम्बर में कुछ खून था एवं बांया चैम्बर खाली था। छोटी आंत एवं बड़ी आंत में बदबूदार गैसेज एवं फीकल मैटिरियल था। जननांग पोस्टमार्टम के वक्त हैल्दी थे एवं यूटस नॉन ग्रेविट था। चोटें सं. 1. नीलगू चोट बाये तरफ चेहरे पर स्थित थी जो कि आँख, नाक, होट को घेरे

हुई थी। 8 सेमी गुणा 6 सेमी। 2. खरोंचनुमा घाव 2 सेमी गुणा 1 सेमी, दाये फारआर्म पर स्थित थी। 3. खरोंचनुमा घाव 1 सेमी गुणा 1 सेमी, बांये फोरआर्म पर थी। दोनों चोटों में जमा हुआ खून था। स्कल को खोलने पर ब्रेन टिश्यू एडीनेटस पाया गया एवं ब्रेन में खून बहा हुआ पाया गया (इन्ट्रा केनियल हेमरेज) सभी चोटें मृत्यु पहले की थी। बोर्ड की राय में रामादेवी की मृत्यु का कारण कोमा है जो कि इन्टरा क्रेनियल हेमरेज के कारण हुआ था। मृत्यु का समय पोस्टमार्टम के 24 घंटे के अन्दर का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 17 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं एवं सी से डी मेडिकल बोर्ड की राय है।

14. इस प्रकार यह गवाह दिनांक 26.06.17 को आहता श्रीमती रामा का चिकित्सीय परीक्षण करने और दिनांक 05.07.17 को मृतका रामादेवी का पोस्टमार्टम करने की साक्ष्य देता है। इस गवाह के अनुसार दिनांक 26.06.17 को चिकित्सीय परीक्षण के समय आहता के शरीर पर तीन चोटें थीं जिसमें नीलगू की चोट 8 गुणा 6 सेमी चेहरे के बायें साईड में स्थित थी, जो कि आँख, गाल, नाक, होंठ एवं सिर को घेरे हुए थी। नाक से खून बह रहा था। राय रिजर्व रख सिर का सी.टी स्केन एवं एक्सरे की सलाह दी गई। यह चोट भोटे हथियार से कारित थी तथा दूसरी चोट खरोंचनुमा घाव 2 सेमी गुणा 1 सेमी जो कि दाये फोरआर्म पर स्थित था। चोट सामान्य प्रकार एवं भोटे हथियार से कारित थी एवं तीसरी चोट खरोंचनुमा घाव 1 सेमी गुणा 1 सेमी बाये फोरआर्म पर स्थित था। चोट सामान्य प्रकृति की होकर भोंटे हथियार से कारित थी।

15. गवाह स्पष्ट करता है कि पीड़िता बयान देने की स्थिति में नहीं थी। गवाह के अनुसार दिनांक 05.07.2017 को पोस्टमार्टम के मृतका रामादेवी के शरीर पर नीलगू चोट बांये तरफ चेहरे पर स्थित थी, जो कि आँख, नाक, होट को घेरे हुई थी। 8 सेमी गुणा 6 सेमी, दूसरी खरोंचनुमा घाव 2 सेमी गुणा 1 सेमी, दांयें फारआर्म पर एवं तीसरी चोट खरोंचनुमा घाव 1 सेमी गुणा। सेमी, बांये फोरआर्म पर थी। दोनों चोटों में जमा हुआ खून था। स्कल को खोलने पर ब्रेन टिश्यू एडीनेटस पाया गया एवं ब्रेन में खून बहा हुआ पाया गया। (इन्ट्रा केनियल हेमरेज) सभी चोटें मृत्यु पहले की थी। बोर्ड की राय में रामादेवी की मृत्यु का कारण कोमा, जो कि इन्टरा केनियल हेमरेज के कारण माना गया था।

16. अब इस गवाह से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 14 की चोट नं. 2 व 3 सामान्य प्रकृति की थी। चोट नंबर 1 की प्रकृति के बारे में कहना संभव नहीं है। रामादेवी की एमएलसी बनाते समय चोट नंबर 1 ऐसी थी, जिससे मृत्यु होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

17. इस प्रकार यह गवाह मृतका रामावेदी के शरीर पर मृत्यु पूर्व चोटें होने की पुष्टि करता है। गवाह से की गई जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे स्पष्ट हो कि रामादेवी की मृत्यु स्वाभाविक परिस्थितियों में हुई हो।

18. मृतका का पोस्टमार्टम करने वाले बोर्ड के दूसरे सदस्य गवाह पी.डब्ल्यू 16 डॉ. अंकित जेटली ने न्यायालय में बयान दिया है कि वह दिनांक 05.07.2017 को सीएचसी खेडली पर मेडिकल ऑफीसर के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस तहरीर पर मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया जिसमें तीन सदस्य थे। उसके अलावा डॉ. रामावतार बंसल व डॉ. हिरेन्द्र कुमार शर्मा सदस्य थे। उस दिन मृतका रामादेवी पत्नि किशोरीलाल जाटव उम्र 70 निवासी इन्द्रा कॉलोनी साँखरी के शव का पोस्टमार्टम सीएचसी खेडली पर मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया। शव सुपायिन पोजिशन में लेटा हुआ था। शरीर सामान्य कद काठी एवं पोषित था। पूरे शरीर में अकडन आयी हुई थी लेकिन गर्दन से निकल गयी थी। दोनो आंखे व मुंह बंद था। जीभ दांतो के पीछे थी। दोनों आंखों की पुतलिया स्थिर व चौडी हुई थी। छाती की पसलिया व कार्टिलेज हैल्दी थे। फेंफडों की प्लूरा हैल्दी थी। सांस की नली व दांया व बांया फेंफडा, पैरिकार्डियन, बडी वाहिनियां, पेट की दीवारे, आंतो की झिल्लियां, मुंह व खाने की नली, छोटी आंत व बडी आत, लीवर, तिल्ली, किडनियां, पेशाब की थैली सभी हैल्दी थी। हृदय के दांये चैम्बर में कुछ खून था, बांया चैम्बर खाली था। छोटी आंत व बड़ी आंत में बदबूदार गैस व फिकल मैटर था। जननांग पोस्टमार्टम के वक्त हैल्दी था एवं यूटरस नोन ग्रेविड था। चोटे निम्न प्रकार थी। चोट नम्बर 1, 8 गुणा 6 सेमी की नीलगू चोट चेहरे के बांये तरफ स्थित थी जो कि आंख नाक होंठ व सिर को घेरे हुए थी। चोट संख्या 2 खरोंचनुमा घाव 2 गुणा 1 सेमी दांये फोरआर्न पर थी। चोट संख्या 3 खरोंचनुमा घाव 1 गुणा 1 सेमी बांये फोरआर्म पर थी। दोनो चोटों में जमा हुआ खून था। स्कल को

खोलने पर ब्रेन टिशु एडीमेटोज पाया गया एवं ब्रेन में खून पाया गया (इन्ट्रा केनियल हेमोरेज)। सभी चोटें मृत्यु से पहले की थी। बोर्ड की राय में रामा देवी की मृत्यु का कारण कोमा है जो कि इन्ट्रा केनियल हेमोरेज के कारण हुआ था। मृत्यु का समय पोस्टमार्टम के 24 घंटे के भीतर का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 17 है जिस पर ई–एफ उसके हस्ताक्षर हैं व सी–डी बॉर्ड की राय है।

19. इस प्रकार यह गवाह भी पोस्टमार्टम के समय मृतका के शरीर पर तीन चोटें जिनमें 1 चोट 8 गुणा 6 सेमी की नीलगू चेहरे के बांये तरफ आंख नाक होंठ व सिर को घेरे हुए थी, चोट संख्या 2 खरोंचनुमा घाव 2 गुणा 1 सेमी दांये फोरआर्म पर थी व चोट संख्या 3 खरोंचनुमा घाव 01 गुणा 1 सेमी बांये फोरआर्म पर होना बताता है। उक्त सभी चोटें मृत्यु से पहले की थी। बोर्ड की राय में रामा देवी की मृत्यु का कारण कोमा है जो कि इन्ट्रा केनियल हेमोरेज के कारण हुआ था।

20. गवाह से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि रामादेवी के सिर पर जो चोट आई है उसके गिरने पड़ने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। रामादेवी की उम्र के हिसाब से व रक्तचाप बढ़ने की वजह से उनके कोमा में जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह बात सही है कि रामादेवी के पोस्टमार्टम के समय रामादेवी के शरीर पर कोई प्राणघातक चोट नहीं थी।

21. इस प्रकार यह गवाह मृतका के शरीर पर मृत्युपूर्व चोट आना बताता है, परंतु उक्त किसी भी चोट को प्राणघातक होने से इंकार करता है, परंतु दोनों गवाहान की साक्ष्य को समग्र रूप से देखने पर यह तथ्य स्पष्ट है कि मृतका रामादेवी के शरीर पर मृत्युपूर्व की चोट थी। ऐसे में उसकी मृत्यु को स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। ऐसे में स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु स्वाभाविक परिस्थितियों में कारित न होकर अस्वाभाविक परिस्थितियों में कारित हुई थी।

22. अब न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करना है कि ***"क्या दिनांक 26.06.2017 को रात्रि करीब डेढ़ बजे सरहद मौजा सौंखरी में अभियुक्त विजय सिंह ने परिवादिया की सास श्रीमती रामा के साथ आशय व ज्ञान से थाप मुक्कों व दरांत से उसे जान से मारने की नीयत से मारपीट कर उसकी हत्या कारित की? "***

23. इस बिंदू पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किया है कि दिनांक 25.06.2017 को समय करीबन रात्री 10.30 बजे की बात है उसका पति विजयसिंह शराब पीकर घर आया तथा शराब के नशे में गाली गलौच कर रहा था तथा उसके व बच्चों के साथ मारपीट उतारू हो गया तब समय करीबन 11.30 बजे विजय के डर की वजह से वे अपने घर से विशन के घर चले गये और घर में उसकी वृद्ध सास रामा थी। उसके बाद समय करीबन 2.00 बजे उसके घर हा हुल्ला मचा की बुढीया को मार दिया। उसके बाद परिवादिया अपने बच्चों के साथ घर आयी तो बुढिया जमीन पर पड़ी हुयी तथा खून में लतपथ थी और उसका पति विजय घर पर ही था।

24. इस प्रकार इस गवाह ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल यह बताया है कि रामाबाई के चोटें आई, उससे पूर्व उसका पति अभियुक्त विजय सिंह उनके साथ लड़ाई–झगड़ा कर रहा था, परंतु यह गवाह यह नहीं बताती कि अभियुक्त विजय ने ही मृतका रामाबाई को मारा हो या उसने अभियुक्त विजय को रामाबाई के साथ झगड़ा कर मारपीट करते देखा हो। गवाह केवल मृतका रामाबाई को घायल अवस्था में देखने के समय अभियुक्त विजय सिंह को वहां मौजूद होना अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित करती है।

25. न्यायालय में परीक्षित होने पर परिवादिया पी.डब्ल्यू 1 श्रीमती मंदरा ने सशपथ बयान दिया कि उसके पति का नाम विजयसिंह व सास का नाम रामा था। उसकी सास बयानों से करीब दो ढाई साल पहले मर गई थी। झगडा रात को 10 साडे 10 बजे हुआ। वह शादी में गांव बाहर गई हुई थी। उसकी सास झगडा से दो दिन पहले चक्कर खाकर गिर गई थी जिससे उसके सिर में चोट लग गई थी। उसके पति ने उसकी सास के साथ शराब पीकर मारपीट नहीं की थीं। उसके पति उस समय घर पर ही था। झगडा के बाद उसने पुलिस को फोन नहीं किया था। वह जब आई तब उसे उसकी सास जमीन पर पड़ी हुई मिली थी उसे अस्पताल ले गये उसके खून निकल रहे थे। घटना के 15 दिन बाद उसकी सास मरी थी। उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस आ गई थी पुलिस ने उसकी अंगूठा निशानी करा ली थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है। पुलिस ने उसकी

सास के कपडे जप्त किये हो तो उसे नहीं पता फर्द जप्ती कपडे प्रदर्श पी 4 है। उक्त प्रदर्शों पर एक्स स्थान पर गवाह की अंगूठा निशानी है।

26. इस प्रकार यह गवाह न्यायालय में अपने द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की लैशमात्र भी ताईद नहीं करती है, बल्कि घटना के दो दिन पहले उसकी सास के चक्कर खाकर गिर जाने और उससे उसके सिर में चोट आने की साक्ष्य देती है। यह गवाह अभियुक्त विजय द्वारा रामादेवी के साथ मारपीट करने बाबत स्पष्ट रूप से इंकार करती है।

27. अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करने से अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही करार दिया गया है। अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह रिपोर्ट पी 1 का ए से बी भाग *''दिनांक.....चले गये''* व सी से डी भाग *''मेरे.....लतपथ थी''* लिखाने से इंकार करती है और अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 5 का ए से बी भाग *''दिनांक.....उतारू हो गया''* व सी से डी भाग *''तथा घर.....मार दिया''* व ई से एफ भाग *''तथा उसके.....रैफर कर दिया''* और जी से एच भाग *''सास के.....देखा है''* भाग गवाह ने सुनकर कहा कि ऐसा बयान उसने नहीं दिया। आगे गवाह स्वीकार करती है कि यह बात सही है कि किशनलाल, छगन, मगन, सुगन उसके पडौसी है। यह बात सही है कि झगडा के समय काफी लोग आ गये थे। यह बात सही है कि उसका पति अभी भी जेल में है। यह कहना गलत है कि उसके पति ने ही उसकी सास की हत्या की हो जिसे वह बचाने के लिए झूठे बयान दे रही हो।

28. अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह स्वीकार करती है कि प्रदर्श पी 1 रिपोर्ट उसने नहीं की थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर उसकी किसने अंगूठा निशानी लगवाई उसे नहीं पता। नक्शा प्रदर्श पी 3 उसके सामने नहीं बनाया उसके खाली कागज पर हस्ताक्षर कराये थे। प्रदर्श पी 4 पर भी उसकी खाली कागज पर अंगूठा निशानी कराई थी, उसके सामने खून आलूदा कपडे जप्त नहीं किये थे।

29. इस प्रकार यह गवाह न केवल अभियोजन कहानी के विपरीत रामादेवी के चक्कर खाकर गिरने से सिर में चोट आने का कथन करती है, बल्कि रिपोर्ट लिखाने से भी इंकार करती है। यह गवाह अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने

से इंकार करती है। इसलिए परिवादिया की साक्ष्य से अभियोजन को कोई मदद प्राप्त नहीं होती है।

30. अभियुक्त विजय सिंह परिवादिया का पति है तथा वह मृतका रामाबाई का पुत्र है। ऐसे में परिवादिया द्वारा अपने पति के खिलाफ साक्ष्य नहीं दिया जाना स्वाभाविक है। इसलिए अभियोजन की ओर से पेश अन्य गवाहान की साक्ष्य को देखा जाना आवश्यक है।

31. चश्मदीद गवाहान के रूप में पेश गवाह पी. डब्ल्यू 6 टिंकू उर्फ रूधिर व पी.डब्ल्यू 7 मौसम मृतका रामादेवी के पोते हैं, जिनकी साक्ष्य को देखें तो गवाह 6 टिंकू उर्फ रूधिर कुमार ने न्यायालय में परीक्षित होने पर बयान दिया कि विजयसिंह उसके पिता है। उसकी मां का नाम मुंद्रादेवी है उसके पिताजी बेलदारी का काम करते है। उसकी दादी का नाम रामादेवी है। उसकी दादी को मरे हुए करीब दो साल हो गये हैं। उसकी दादी को कम दिखाई देता था इसलिए वह घर में टकराकर गिर गई जिससे उसके सिर में चोट आई थी। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया था फिर उसे घर ले आये वह 10–11 दिन बाद मर गई थी। उसके पिताजी उसकी मां के साथ शराब पीकर मारपीट नहीं करते थे। उसके पिता ने उसकी दादी के साथ शराब पीकर मारपीट नहीं की।

32. इस प्रकार यह गवाह भी अभियोजन कहानी की लैशमात्र भी ताईद नहीं करता है। गवाह मृतका के टकरा कर गिर जाने की वजह से सिर में चोट आना और अभियुक्त द्वारा कोई मारपीट नहीं करने की साक्ष्य देता है। अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करने से अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

33. अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 10 का ए से बी भाग *''दिनांक.....हो गया'',* सी से डी भाग *''तथा..... चला गया'',* ई से एफ भाग *''तथा.....घर पर था''* व जी से एच भाग *''तथा मेरी.....देखा है,''* सुनकर कहा कि ऐसा बयान उसने पुलिस को नहीं दिया। गवाह आगे जिरह में स्वीकार करता है कि यह बात सही है कि उसके पिताजी उसकी दादी के मारने के मामले में अभी जेल में है। यह कहना गलत है कि उसके पिताजी ने उसकी दादी को मारा हो और वह उनका बेटा होने के कारण उन्हें बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में

गवाह स्वीकार करता है कि उसने उसकी दादी के साथ किसी को मारपीट करते हुए नहीं देखा।

34. इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू 7 मौसम ने न्यायालय में बयान दिया कि विजयसिंह उसके पिता है। उसकी मां का नाम मुंद्रादेवी है उसके पिताजी बेलदारी का काम करते है। उसकी दादी का नाम रामादेवी है। उसकी दादी को मरे हुए करीब दो साल हो गये है। वह उस दिन गांव में शादी में गया हुआ था। रात को 11–12 बजे हल्ला हुआ तब वह शादी में से आया तो देखा कि पुलिस वाले उसकी दादी को खेरली ईलाज के लिए ले जा रहे थे। उसके बाद दादी को अलवर रैफर कर दिया गया। वह दादी के साथ गया था अलवर से दादी को जयपुर रेफर कर दिया। उसकी दादी एक दो दिन पहले गिर गई थी जिससे उनके सिर में चोट थी। जयपुर में उनके पास पैसा नहीं होने के कारण ईलाज नहीं करा पाये। फिर उनके रिश्तेदार दादी को घर ले आये जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। उसकी पिताजी ने शराब पीकर मेरी दादी के साथ मारपीट नहीं की थी। उसके पिता उसके व उसकी मां के साथ शराब पीकर गाली गलौंच नहीं करते थे। पुलिस ने उसकी दादी की लाश का पंचनामा बनाया था जो प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

35. इस प्रकार यह गवाह भी न्यायालय में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करता है। यह गवाह भी गवाह टिंकु के समान मृतका रामादेवी के गिर जाने से सिर में चोट आने और अभियुक्त द्वारा उसके साथ कोई मारपीट नहीं करने की साक्ष्य देता है।

36. अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करने से अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 11 का ए से बी भाग *''दिनांक.....चले गये''*, सी से डी भाग *''तथा.....गिर गई थी,''* ई से एफ भाग *''रिश्तेदार.....देखा है''* पुलिस को लिखाने से इंकार करता है। आगे गवाह स्वीकार करता है कि यह बात सही है कि उसके पिताजी उसकी दादी के मारने के मामले में अभी जेल में में है। यह कहना गलत है कि उसके पिताजी ने उसकी दादी को मारा हो और वह उनका बेटा होने के कारण उन्हें बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। आगे गवाह स्वीकार करता है कि उसने उसकी

दादी के साथ किसी को मारपीट करते हुए नहीं देखा। प्रदर्श पी 12 पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर हैं जो उसने दादी की लाश लेने के लिए कराए थे। उनकी दादी कैसे मरी पुलिस ने उनसे नहीं पूछा।

37. इस प्रकार उपरोक्त दोनों गवाह जो मृतका रामाबाई के पोते होकर वक्त घटना घटनास्थल पर बताए गए हैं, न्यायालय में अभियोजन कहानी की लैशमात्र भी ताईद नहीं करते। गवाहान रामाबाई के गिर जाने से चोट आना और अभियुक्त विजय सिंह द्वारा कोई मारपीट नहीं करना बताते हैं। इसलिए उक्त गवाहान की साक्ष्य से अभियोजन को कोई मदद प्राप्त नहीं होती है।

38. अभियोजन की ओर से घटना के स्वतंत्र चश्मदीद गवाहान के रूप में गवाह पी.डब्ल्यू 2 छगनलाल, पी.डब्ल्यू 3 सुगन व पी.डब्ल्यू 4 किशनलाल व पी. डब्ल्यू 8 शिवचरण को न्यायालय में पेश किया गया है।

39. उपरोक्त गवाहान की साक्ष्य को देखें तो गवाहान पी.डब्ल्यू 2 छगनलाल व पी.डब्ल्यू 3 सुगन ने न्यायालय में लगभग समान रूप से साक्ष्य देते हुए बताया है कि विजयसिंह उनका पड़ौसी है। बयानों से दो–ढाई साल पहले झगडा हो गया था। विजयसिंह की मां का नाम रामा था। विजयसिंह शराब पीकर अपनी मां व पत्नी बच्चों के साथ मारपीट होने की बात उन्होंने नहीं सुनी ना ही देखा। उन्हें नहीं पता कि दिनांक 25.06.17 को रात्रि साडे 11 बजे विजय सिंह ने शराब पीकर अपनी मां रामा के साथ मारपीट कर घायल कर दी हो। जिससे 15 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई हो।

40. इस प्रकार दोनों गवाह अभियोजन कहानी की लैशमात्र भी पुष्टि नहीं करते, अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाहान को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह छगनलाल अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 6 का ए से बी भाग *''दिनांक.....हो गया था,''* व सी से डी भाग *''तथा दिनांक.....पटक दिया,''* ई से एफ भाग *''तो उक्त.....भी देखा''* पुलिस को लिखाने से इंकार करता है इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू 3 सुगन ने भी अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 का ए से बी भाग *''दिनांक.....पटक दिया,''* सी से डी भाग *''तो उक्त.....लोगों ने देखा है''* पुलिस को देने से इंकार किया। उक्त गवाहान आगे जिरह में स्वीकार करते हैं कि यह बात सही है कि विजयसिंह उनका रिश्ते में साला लगता है। यह कहना गलत है कि विजयसिंह

शराब पीकर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट करता हो, शराब पीकर अपनी मां रामा के साथ मारपीट की जिसकी चोटों के कारण वह 15 दिन बाद मर गई हो। यह कहना गलत है कि विजयसिंह उनका पडौसी होने व रिश्ते में साला होने के कारण वह उसे बचाने के लिए झूठे बयान दे रहे हों। यह बात सही है कि विजयसिंह अभी भी जेल में बंद है। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहान अभियोजन कहानी का लैशमात्र भी समर्थन नहीं करते हैं।

41. गवाह पी.डब्ल्यू 4 किशनलाल ने न्यायालय में सशपथ बयान दिया है कि विजयसिंह उसका पडौसी है। बयानों से करीब दो साल पहले रात्रि के 11 साडे 11 बजे का समय था विजयसिंह और उसकी मां रामादेवी में झगडा हो रहा था और विजयसिंह की पत्नी हल्ला कर रही थी। वह उस समय अपने घर पर था। उसने तो हल्ला सुना था। विजयसिंह की पत्नी अपने लडके को बुलाने गई थी। विजयसिंह को शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता हो तो उसे पता नहीं है। विजयसिंह के द्वारा अपनी मां के साथ मारपीट नहीं की थी।

42. इस प्रकार यह गवाह भी न्यायालय में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करता है। जिससे गवाह को अपर लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 8 का ए से बी भाग ''शराब के.....गया था'', सी से डी भाग ''तथा.....गये थे, ई से एफ भाग ''जिन्होंने.....देखा है'', गवाह ने पुलिस को लिखाने से इंकार किया। गवाह जिरह में आगे स्वीकार करता है कि विजयसिंह का घर उसके घर से एक घर छोडकर है। रात को यदि विजयसिंह के घर से आवाज आये तो सुनाई दे जाती है। विजयसिंह गांव के नाते से साला लगता है। यह कहना गलत है कि विजयसिंह उसका साला लगने के कारण वह झूठे बयान दे रहा हो। यह कहना गलत है कि विजयसिंह ने अपनी मां के साथ शराब पीकर मारपीट की हो।

43. अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह स्वीकार करता है कि उसने विजयसिंह और उसकी मां में झगडा होते हुए नहीं देखा। वह उस दिन सारी रात घर पर ही था। उसका और विजयसिंह का आपस में बोलचाल नहीं है। रामादेवी कैसे मरी उसे पता नहीं है।

44. इस प्रकार उपरोक्त स्वतंत्र चश्मदीद गवाहान इस बाबत कोई साक्ष्य नहीं देते कि अभियुक्त विजय ने अपनी मां रामाबाई की हत्या कारित की है या उसके के साथ बताई गई घटना के दिन मारपीट की हो।

45. गवाह पी.डब्ल्यू 8 शिवचरण ने न्यायालय में सशपथ बताया है कि कितने साल पहले की बात है उसे नहीं पता। क्या बात हुई थी उसे नहीं पता। उसके सामने किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं हुई थी। अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 13 का ए से बी भाग *''दिनांक.....भाग गई''* व सी से डी भाग *''फिर दिनांक.....नशे में की थी''* पुलिस को लिखाने से इंकार किया। गवाह आगे जिरह में स्वीकार करता है कि यह कहना गलत है कि विजयसिंह शराब का आदी हो। उसे नहीं पता कि आज से तीन साल पहले विजयसिंह ने अपनी पत्नी और पुत्र पर पत्थर मारता हुआ दौड़ रहा हो। यह कहना गलत है कि विजयसिंह ने अपनी मां रामदेई के मारपीट कर घायल कर दिया हो। यह कहना गलत है कि वह विजयसिंह का पडौसी होने के नाते, उसे बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो।

46. इस प्रकार उपरोक्त घटना के चश्मदीद गवाहान के रूप में पेश गवाह पी.डब्ल्यू 2 छगनलाल, पी.डब्ल्यू 3 सुगन, पी.डब्ल्यू 4 किशनलाल, पी.डब्ल्यू 6 टिंकू, पी.डब्ल्यू 7 मौसम, पी.डब्ल्यू 8 शिवचरण जो घटनास्थल के पड़ौसी व मृतका के संबंधी है, न्यायालय में अभियोजन कहानी की लैशमात्र भी ताईद नहीं करते। अभियोजन की ओर से पेश उक्त चश्मदीद गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्त विजय सिंह द्वारा अपनी मां श्रीमती रामाबाई की मृत्यु कारित की गई हो या मृत्यु से पूर्व मारपीट की गई हो यह तथ्य स्थापित नहीं होता है।

47. घटना के उपरोक्त चश्मदीद गवाह न्यायालय में अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं करते हैं, इसलिए पत्रावली पर अभियुक्त को उक्त घटना से जोड़ने बाबत सीधे तौर पर चश्मदीद गवाहान की साक्ष्य मौजूद नहीं है और चूंकि, पत्रावली पर सीधे तौर पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, इसलिए जहां सीधे तौर पर अभियुक्त को अपराध से जोड़ने की साक्ष्य मौजूद नहीं हो, वहां परिस्थितिजन्य साक्ष्य व अनुसंधान कार्रवाई के दौरान एकत्र की गई अन्य साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाती है।

48. इस संबंध में सर्वप्रथम प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 12 मोहनलाल की साक्ष्य को देखें तो इस गवाह ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी अनुसंधान कार्रवाई का खुलासा करते हुए सशपथ बयानों में बताया है कि अनुसंधान हेतु पत्रावली प्राप्त होने पर उसने घटना स्थल पर जाकर घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाया। उस दिन वह रात्रि में सर्किल गश्त पर था। समय करीब 2.57 एएम पर दिनांक 26.06.2017 को 02.57 एएम पर सूचना प्राप्त होने पर कि गांव सौंखरी में एक बुजुर्ग महिला के साथ झगड़ा हो रहा है, इस पर वह मौके पर पहुंचा और मौके से मृतका पीड़िता रामादेवी व उसके पुत्र विजयंसिह को, जिनके चोटें आई हुई थीं। आरोपी शराब के नशे में था। जिन्हें लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचा और मृतका रामादेवी की चोटों का मेडिकल मुआयना करवाकर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 14, 15 व नशा शराब रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। मजरूबा श्रीमती रामादेवी के बयान लेने की स्वीकृति चाहने बाबत पत्र पेश किया जिस पर एमओ साहब ने मजरूबा के बयान देने की योग्य होने की स्थिति में नहीं होने बाबत् लिखकर दिया। घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी सील पैकेट मार्का ए व सादा मिट्टी सील पैकटे ए 1 को जरिये फर्द प्रदर्श पी 9 जब्त किया। परिवादिया श्रीमती मुन्दरा द्वारा पीड़िता रामादेवी का वक्त घटना पहना हुआ खून आलूदा लेड़िज कुर्ता पेश किया जिसे जरिये फर्द प्रदर्श पी 4 जब्त किया। मौके पर पहुंचने की वापसी व रवानगी प्रदर्श पी 19 व 20 है। मृतका श्रीमती रामादेवी के शव का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 12 मुर्तिब किया और बाद पोस्टमार्टम मृतका रामादेवी की लाश को उसके परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द की।

49. दिनांक 06.07.17 को अभियुक्त विजय को जरिये फर्द प्रदर्श पी 23 के गिरफ्तार किया। दौराने अनुसंधान गिरफ्तारशुदा मुलजिम विजय द्वारा प्रदर्श पी 24 स्वेच्छया सूचना देने पर कि 25/26.06.17 को की रात को उसने उसकी मां रामादेवी के साथ जिस दरांत से मारपीट की थी, वह दरांत उसने उसके रिहायशी कच्चे घर की छान की बाती के अन्दर छुपा रखी है, जिसको वह चलकर बरामद करवा सकता है, इस पर मुलजिम विजय के रिहायशी कच्चे घर में रखी हुई घटना में प्रयुक्त दरांत जरिये फर्द प्रदर्श पी 25 के जब्त किया और जब्तशुदा खून अलूदा मिट्टी, सादा मिट्टी व मृतका का कुर्ता व दरांत को

वास्ते एफएसएल जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाया। गवाहान मुन्दरा, सुगनसिंह, किशनलाल, छगनलाल, टिंकू उर्फ रूधिर, मौसम, मगनसिंह, शिवचरण, सत्यप्रकाश, दयाराम के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई व बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

50. इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी अपने द्वारा की गई अनुसंधान कार्रवाई का खुलासा करते हुए न्यायालय में साक्ष्य देता है। इस गवाह के अनुसार वह दिनांक 26.06.17 को मारपीट–लड़ाई झगडे की सूचना मिलने पर सौंखरी पहुंचकर अभियुक्त विजय सिंह व उसकी मां रामादेवी को अस्पताल लेकर गया था। मृतका रामादेवी की मृत्यु हो जाने के बाद उसने अभियुक्त विजय सिंह की धारा 27 की सूचना पर उसकी निशांदेही से वारदात में प्रयुक्त दरांत की बरामदगी की। उसने घटना के चश्मदीद गवाहान एवं एफएसएल रिपोर्ट जिसमें दरांत पर और अन्य आर्टिकल्स खून आलूदा मिट्टी एवं मृतका के कपड़ों पर समान खून होने के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रमाणित माना था।

51. अब अनुसंधान अधिकारी से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि झगडे की सूचना पर वह मौके पर गया था और मौके से मृतका रामादेवी व आरोपी विजयसिंह दोनों को चोटे आई हुई थी। जिनको वह हॉस्पीटल लेकर गया व मेडिकल करवाया। यह बात सही है कि वह दोनों का मेडिकल कराने अपनी गाड़ी में लाया था। पीडिता रामादेवी बेहोशी हालत में थी व आरोपी विजय शराब के नशे में था व उसके साधारण चोट आई हुई थी। यह कहना गलत है कि रामादेवी के साधारण चोटें हों। उसने मौके पर जो खून मिट्टी पर मिला था वह रामदेवी का था विजयसिंह का कोई खूनआलूदा चोटें नहीं थी। यह बात सही है कि एफआईआर धारा 323, 341 भारतीय दंड संहिता में दर्ज हुई थी। चूंकि पीडिता बेहोश में थी और घटना स्थल से वह स्वयं हॉस्पीटल लेकर गया था। उसको एमओ ने ईलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया था इसलिए उसको अन्देशा था कि वह चोटों से मर सकती है, इसलिए उसने उसी रोज खूनआलूदा मिटटी के सेम्पल ले लिये थे। दिनांक 27.06.17 से 04.07.17 तक के बीच का कोई भी मेडिकल दस्तावेज पत्रावली पर

संलग्न नहीं है। मृतका बयान देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसके बयान लेखबद्ध नहीं किए थे।

52. इस प्रकार यह गवाह अपने द्वारा किए गए अनुसंधान पर कायम है, परंतु गवाह की साक्ष्य से सीधे तौर पर अभियुक्त की घटना में संलिप्तता की पुष्टि नहीं होती है। अनुसंधान अधिकारी परिवादिया एवं जिन चश्मदीद गवाहान पी. डब्ल्यू 2 छगनलाल, पी.डब्ल्यू 3 सुगन, पी.डब्ल्यू 4 किशनलाल, पी.डब्ल्यू 6 टिंकु, पी.डब्ल्यू 7 मौसम व पी.डब्ल्यू 8 शिवचरण की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रमाणित माना है, वे न्यायालय में अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं करते। उक्त सभी गवाह पक्षद्रोही करार दिए गए हैं। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान के दौरान कार्रवाई की पुष्टि हेतु जिन गवाहान के समक्ष कार्रवाई की गई है उनकी साक्ष्य महत्वपूर्ण है।

53. अनुसंधान अधिकारी ने गवाह पी.डब्ल्यू 5 योगेन्द्र व पी.डब्ल्यू 18 धर्मसिंह के समक्ष घटनास्थल का नक्शा मौका बनाने, मौके से खून आलूदा व सादा मिट्टी व खून से सना हुआ मृतका का एक लेडिज कुर्ता जब्त किया जाना बताया है। उक्त गवाहान की साक्ष्य को देखें तो गवाह पी.डब्ल्यू 5 योगेन्द्र ने बयान दिया कि वह विजयसिंह को जानता है। बयानों से करीब दो साल पहले उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। जिस बाबत पुलिस मौके पर आई थी नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाया था और मौके से खून आलूदा सादा मिट्टी जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी 9 व मृतका का एक लेडिज कुर्ता जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी 4 बरामद किया। उक्त पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर हैं।

54. इस गवाह से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि पुलिस ने उसके सामने नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 नहीं बनाया था, पुलिस ने उसके प्रदर्श पी 3 पर खाली कागज पर हस्ताक्षर कराये। वह भीड देखकर चला गया था तब कराये थे। पुलिस ने उसके सामने खून आलूदा मिटटी जप्त नहीं की थी ना ही कोई लिखापढी की थी। पुलिस ने उसके सामने कोई कुर्ता जप्त नहीं किया। पुलिस ने उसके खाली कागज पर हस्ताक्षर कराये थे। पुलिस आई थी पुलिस ने उससे कहा था कि हम यहां पर तस्दीक करने आये है इसलिए आप इन कागजों पर हस्ताक्षर कर दो बाद में पुलिस ने क्या लिखा उसे नहीं पता।

55. इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य का खंडन इस गवाह की जिरह से होता है। गवाह केवल उक्त फर्दों पर अपने हस्ताक्षर होना बताता है। अन्य गवाह पी. डब्ल्यू 18 धर्मसिंह ने सशपथ बयान दिया है कि बयानों 9 साल पहले पुलिस ने उसके, मून्दरा व योगेन्द्र सामने घटनास्थल इन्द्रा कॉलोनी सौखरी का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 3 बनाया और लेडिज कुर्ता खून आलूदा जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी 4 के जप्त किया था। जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। 9 साल पहले पुलिस ने मृतका रामा हॉस्पीटल खेडली में पंचायतनामा बनाया था जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं और पुलिस ने खून आलूदा मिट्टी व सादा मिट्टी जरिये फर्द प्रदर्श पी 9 जब्त की थी। जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर हैं।

56. गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि यह बात सही है कि उसने कोई मारपीट करते हुए नहीं देखा। जप्त हुई मिट्टी उसके सामने नहीं ली। वे तो केवल हॉस्पीटल गए थे जहाँ पर पुलिस ने खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे। उसके सामने कोई नक्शा मौका नही बनाया।

57. इस प्रकार उपरोक्त दोनों गवाहान की साक्ष्य का खंडन अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह से हो जाता है। दोनों गवाह फर्दों की ताईद नहीं करते हैं। गवाहान केवल फर्दों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करते हैं। जिससे गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय प्रकृति की नहीं मानी जा सकती है। गवाहान की साक्ष्य से भी अभियुक्त विजय की घटना में संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती है।

58. अनुसंधान अधिकारी ने अपने अनुसंधान में अभियुक्त वियज सिंह की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला पर उसकी निशादेही से धारदार हथियार दरांत को जरिये फर्द प्रदर्श पी 26 जप्ती करना बताया है। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 26 गवाहान पी.डब्ल्यू 13 विशन सिंह व पी.डब्ल्यू 14 मगन के समक्ष बनाया जाना बताया गया है। उक्त दोनों गवाहान की साक्ष्य को देखें तो गवाह पी. डब्ल्यू 13 विशन सिंह ने बयान दिया है कि उसे घटना का नहीं पता। वह मौके पर नहीं था। पुलिस ने उसके सामने कुछ जप्त नहीं किया। फर्द जप्ती दरांत प्रदर्श पी–25 उसके सामने नहीं बनाई। फर्द बरामदगी घटनास्थल प्रदर्श पी–26

भी उसके सामने मूर्तिब नहीं किया गया। इस प्रकार यह गवाह अपने समक्ष किसी भी प्रकार की जब्ती होने और घटनास्थल बनाने से इंकार करता है।

59. अपर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी–25 व पी–26 पर ई से एफ उसके ही हस्ताक्षर हैं, यह कहना सही है। यह कहना गलत है कि उसने पढ लिख कर दोनों फर्दों पर हस्ताक्षर किये हों, अज खुद कहा कि कोरे कागजों पर हस्ताक्षर किये थे। अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह स्वीकार करता है कि उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए। उसके सामने कोई जब्ती नहीं की कोई बरामदगी नहीं की। घटना के बारे में वह कुछ नहीं जानता।

60. इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू 14 मगन ने बयान दिया कि बयानों से करीब आठ–नौ साल पहले की बात है। वह घर पर था। उसके पड़ौस में मारपीट व हल्ला हो रहा था और रोआ–पीटी हो रही थी। यह सब विजय के घर पर हो रहा था। उन्हें सुबह पता चला जब पुलिस आई थी। विजय सिंह शराब पीकर अपने बाल बच्चे व औरत के व अपनी मां के साथ मारपीट करता था। जब पुलिस आई तो विजय सिंह की पत्नी घर–घर से आदमियों को बुला रही थी। उसकी पत्नी ने बताया कि उसकी सास मर गयी। हम अस्पताल गये थे और वहाँ से अलवर रैफर कर दिया। उसने पंचनामा पर हस्ताक्षर किये थे। पंचनामा आठ–नौ साल पहले बनाया था। पंचनामा में पाँच आदमी थे। पंचनामा खेरली अस्पताल में बनाया था। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिए। पुलिस ने अस्पताल में पूछताछ की थी। फर्द पंचनामा प्रदर्श पी 12 है जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर है।

61. इस प्रकार यह गवाह उसके समक्ष अभियुक्त के कब्जे से दरांत की बरामदगी की साक्ष्य नहीं देता है। केवल पंचनामा पर हस्ताक्षर करना बताता है। गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि उसने उस दिन विजय के घर पर मारपीट होते हुए नहीं देखी थी।

62. इस प्रकार उक्त दोनों बरामदगी के गवाह अभियुक्त विजय सिंह के कब्जे से धारदार हथियार दरांत की बरामदगी को प्रमाणित नहीं करते हैं।

63. गवाह पी.डब्ल्यू 11 डॉ. हीरेन्द्र कुमार शर्मा ने दिनांक 26.06.2017 को पीड़िता का चोट प्रतिवेदन बनाते समय उसके शरीर पर तीन चोटें होना बताया है जिसमें चोट संख्या 1. नीलगू चोट 8 गुणा 6 सेमी चेहरे के बायें साईड में स्थित थी, जो कि आँख, गाल, नाक, होंठ एवं सिर को घेरे हुए थी। नाक से खून बह रहा था। राय रिजर्व रख सिर का सी.टी स्केन एवं एक्सरे की सलाह दी गई। यह चोट भोटे हथियार से कारित थी एवं दूसरी चोट खरोंचनुमा घाव 2 सेमी गुणा 01 सेमी जो कि दाये फोरआर्म पर स्थित था। चोट सामान्य प्रकार एवं भोटे हथियार से कारित थी व तीसरी चोट खरोंचनुमा घाव 1 सेमी गुणा 1 सेमी बाये फोरआर्म पर स्थित था। चोट सामान्य प्रकार एवं भोटे हथियार से कारित थी।

64. चिकित्सा अधिकारी डॉ. हीरेन्द्र इस बाबत कोई साक्ष्य नहीं देता कि दिनांक 26.06.17 को चिकित्सीय परीक्षण के समय आहता रामादेवी के शरीर पर कोई चोट धारदार हथियार से कारित हुई हो। मृतका का पोस्टमार्टम दिनांक 05.07.17 को किया गया है। मृतका का पोस्टमार्टम करने वाले गवाह पी.डब्ल्यू 11 हीरेन्द्र व पी.डब्ल्यू 16 डॉ. अंकित जेटली के अनुसार वक्त पोस्टमार्टम मृतका के शरीर पर चोट सं. 1 नीलगू चोट बाये तरफ चेहरे पर स्थित थी जो कि आँख, नाक, होट को घेरे हुई थी। 8 सेमी गुणा 6 सेमी। दूसरी चोट खरोंचनुमा घाव 2 सेमी गुणा 1 सेमी, दाये फारआर्म पर स्थित थी एवं तीसरी चोट खरोंचनुमा घाव 1 सेमी गुणा 1 सेमी जो बायें फोरआर्म पर थी। दोनों चोटों में जमा हुआ खून था।

65. इस प्रकार मृतका के पोस्टमार्टम करने वाले दोनों गवाहान पी.डब्ल्यू 11 डॉ. हीरेन्द्र कुमार शर्मा व पी.डब्ल्यू 16 डॉ. अंकित जेटली ने इस बाबत् कोई साक्ष्य नहीं दी है कि वक्त पोस्टमार्टम मृतका के शरीर पर कोई धारदार प्रकृति की चोट हो।

66. इस प्रकरण में प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 32 के अनुसार मौके से जब्तशुदा खून आलूदा मिट्टी, मृतका के कुर्ते और दरांत (धारदार हथियार) पर खून डिटेन हुआ है, लेकिन जहां खून आलूदा मिट्टी और कुर्ते पर मानव ब्लड बताया गया है, वहीं दरांत पर मानव ब्लड बाबत राय नहीं दी गई है। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मृतका के शरीर पर धारदार हथियार की कोई

चोट नहीं थी। ऐसे में दरांत पर खून किस प्रकार आया यह स्पष्ट नहीं हुआ है। यदि धारदार हथियार (दरांत) से चोट मारी जाती तो निश्चित रूप से कटा हुआ घाव की चोट साफ कट वाली चोट कारित होती, परंतु जहां मृतका के शरीर पर कोई धारदार हथियार की चोट नहीं है एवं दरांत पर मानव ब्लड होने की पुष्टि नहीं होती है, वहां यह नहीं माना जा सकता कि दरांत से ही मृतका की हत्या की गई है। केवल दरांत की बरामदगी के आधार पर ही अभियुक्त को घटना में दोषसिद्ध नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारीगण ने अपनी साक्ष्य में पीड़िता के शरीर पर जो चोटें बताई हैं, वे लगभग पूरे चेहरे पर आंख, नाक, होठ, सिर को घेरे हुए और दोनों हाथों पर है। जो गिरने से आना दर्शित होता है।

67. अभियोजन की ओर से पेश अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 9 बाबूराम व पी.डब्ल्यू 10 कन्हैयालाल पंचनामा लाश प्रदर्श पी 12 बनाने की औपचरिक प्रकृति की साक्ष्य देते हैं। उक्त गवाहान की साक्ष्य इस बिंदु पर औपचारिक प्रकृति की है।

68. गवाह पी.डब्ल्यू 15 नरेन्द्र कुमार अपने समक्ष दिनांक 06.07.2017 को मुलजिम विजय सिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी 23 के गिरफ्तार करने की औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य देता है। इस गवाह की साक्ष्य घटना के तथ्यों बाबत औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य है।

69. गवाह पी.डब्ल्यू 17 सत्यप्रकाश प्रकरण में जब्तशुदा माल को एफएसएल के लिए जयपुर ले जाने और जमा कराने के पश्चात् एफएसएल रसीद प्रदर्श पी 27 लेने की साक्ष्य देता है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू 19 दयाराम दिनांक 26.06.17 व 07.07.17 को थाना खेड़ली पर मालखाना इंचार्ज है जिसने प्रकरण में जप्त शुदा आर्टिकल ए खून आलूदा मिट्टी व आर्टिकल ए 1 सादा मिट्टी व एक लेडिज कुर्ता व एक दरांत को मय फर्द के मालखाना रजिस्टर के रजिस्टर में दर्ज कर असल रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 28ए व प्रदर्श पी 28 जारी करने की साक्ष्य देता है।

70. उपरोक्त दोनों गवाहान की साक्ष्य अनुसंधान के दौरान मालखाना को रखने एवं एफएसएल में ले जाने से संबंधित है। जिससे अभियुक्त को घटना में संलिप्त नहीं माना जा सकता है।

71. उपरोक्त गवाहान की साक्ष्य को समग्र रूप से देखनें पर परिवादिया श्रीमती मंदरा उसके पति अभियुक्त विजय सिह का उनसे झगड़ा करने के समय उनका वहां से चले जाना और रात 2 बजे वापस आने पर उसकी सास को घायल अवस्था में देखने की साक्ष्य देती है। जिसके बाबत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। न्यायालय में परीक्षित होने पर यह गवाह पक्षद्रोही करार दी गई है। गवाह अभियोजन कहानी व अपने द्वारा एफआईआर दर्ज कराने से इंकार करती है। गवाह मृतका रामादेवी के चक्कर खाकर गिर जाने से चोट आना और चोट की वजह से मृत्यु हो जाने की साक्ष्य देती है। गवाह अभियुक्त विजय सिंह द्वारा मृतका रामादेवी के साथ मारपीट करने से इंकार करती है। घटना के चश्मदीद गवाहान के रूप में पेश गवाह पी.डब्ल्यू 2 छगनलाल, पी.डब्ल्यू 3 सुगन, पी.डब्ल्यू 4 किशनलाल, पी.डब्ल्यू 6 टिंकू, पी.डब्ल्यू 7 मौसम व पी.डब्ल्यू 8 शिवचरण सभी पक्षद्रोही करार दिए गए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू 6 टिंकू, पी.डब्ल्यू 7 मौसम मृतका रामादेवी के गिर जाने से चोट लग जाने की साक्ष्य देते हैं तथा अभियुक्त द्वारा मृतका से मारपीट किए जाने से इंकार करते हैं। उक्त सभी गवाह अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी 6, 7, 8, 10, 11 व 13 लिखाने से इंकार करते हैं। इस प्रकार चश्मदीद गवाहान अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं देते हैं। दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त के कब्जे से धारदार हथियार लोहे की दरांत को वारदात में प्रयुक्त हथियार के रूप में बरामद होना बताया गया है, परंतु बरामदगी के गवाह पी.डब्ल्यू 13 विशन सिंह व पी.डब्ल्यू 14 मगन अभियुक्त से उक्त दरांत की बरामदगी की पुष्टि नहीं करते हैं। आहता का चिकित्सीय परीक्षण व पोस्टमार्टम करने वाले गवाह चिकित्सा अधिकारीगण पी.डब्ल्यू 11 डॉ. हीरेन्द्र कुमार शर्मा व पी.डब्ल्यू 16 डॉ. अंकित जेटली ने वक्त चिकित्सकीय परीक्षण व वक्त पोस्टमार्टम पीड़िता के शरीर पर धारदार हथियार की चोट होने की पुष्टि नहीं करते हैं। उक्त चिकित्सा अधिकारीगण ने वक्त पोस्टमार्टम पीड़िता के शरीर पर जो चोटें बताई हैं, वे मृतका के चेहरे पर आंख, नाक, होठ व सिर को घेरे हुए व दोनों हाथों के अग्रभुजा पर है जो गिरने–पड़ने से आने वाली चोटें दर्शित होती हैं। इसके अलावा डॉ. अंकित जेटली पी.डब्ल्यू 16 यह भी स्वीकार करता है कि वक्त पोस्टमार्टम पीड़िता रामादेवी के शरीर पर कोई चोट प्राण घातक नहीं थी। ऐसे

में उक्त धारदार हथियार की बरामदगी को घटना में प्रयुक्त हथियार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली पर प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार मृतका के कुर्ते व मौके पर जब्त खून आलूदा मिट्टी में मानव ब्लड पाया गया है तथा दरांत पर भी खून के धब्बे थे, लेकिन दरांत पर आए खून के धब्बे मानव ब्लड के हैं या नहीं इस तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त जहां मृतका के शरीर पर कोई धारदार हथियार की चोट नहीं है, वहीं दरांत पर खून की उपलब्धता अपने आप में ही संदिग्ध है और उसके आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अन्य गवाहान अनुसंधान कार्रवाई के दौरा बनाए गए दस्तावेजों के संबंध में औपचारिक प्रकृति के गवाहान हैं, जिनसे घटना के तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है। पत्रावली पर अभियुक्त विजय को घटना में संलिप्त करने बाबत कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है इसलिए अभियोजन पक्ष यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त विजय सिंह द्वारा मृतका श्रीमती रामाबाई के साथ आशय व ज्ञान के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कारित की गई।

72. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन उपरांत अभियोजन पक्ष अभियुक्त विजय सिंह के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता 1860 को युक्तियुक्त संदेह परे साबित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्त विजय सिंह को उपरोक्त आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

73. फलतः अभियुक्त विजय सिंह पुत्र किशोरीलाल, उम्र 49 साल, (वर्तमान उम्र 57 साल) निवासी इंद्रा कॉलोनी सौंखरी, पुलिस थाना खेरली, जिला अलवर को अपराध अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

74. अभियुक्त की ओर से पूर्व में पेश नियमित पेशी पर उपस्थिति बाबत् पेश जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत खून आलूदा व सादा मिट्टी, मृतका का कुर्ता एवं दरांत बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन रहे।

75. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मृतका रामादेवी के परिजनों को धारा 357 ए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 के तहत क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

(उदय सिंह अलोरिया)
अपर सेशन न्यायाधीश, कठूमर,
जिला अलवर, (राज.)

76. निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उदय सिंह अलोरिया)
अपर सेशन न्यायाधीश, कठूमर,
जिला अलवर, (राज.)